तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/586/2001/डीग** **विद्यादेवी बनाम त्रिलोकचन्द अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री माधवराजसिंह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—06.01.2026

1— यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—12—2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 रतनदेई के विरूद्ध दिनांक 22—04—91 को ही एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर उनका जवाबदावा बन्द कर दिया गया था। तत्पश्चात् उनहोंने कोई कार्यवाही अपनी जिन्दगी में वास्ते निरस्त करवाने एकतरफा कार्यवाही पेश नहीं की व उनका देहान्त दिनांक 24—03—1998 को हुआ। इसके पश्चात् विपक्षी रतनदेई के वारिसानों ने दिनांक 29—09—2000 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 रूल 7 सीपीसी पेश कर अपने आपको रतनदेई के स्थान पर पक्षकार बनाने व 22—04—91 को उनकी माता के विरूद्ध की गयी एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने की प्रार्थना की। जिसका प्रार्थीया ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी न तो दावे में पक्षकार है व न ही दिनांक 22—04—1991 की तारीख को उनका कोई दावे में वजूद है व न ही उन्हें दिनांक 22—04—91 की कार्यवाही को निरस्त करवाने का कोई अधिकार है, क्योंकि दिनांक 22—04—91 की तारीख में उनका दावे में कोई वजूद ही नहीं था। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य था किन्तु न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर ने गैरकानूनी तौर पर दावे की समस्त कार्यवाही 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात् अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गैर कानूनी तौर पर स्वीकार करने के आदेश दिनांक 27—12—2000 पारित किये हैं। अप्रार्थीगण को आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रसतुत करने का कोई लोकस स्अेंड नहीं था, क्योंकि उनकी माता द्वारा दावे में कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। अप्रार्थीगण की माता ने दिनांक 22—04—91 की एकतरफा कार्यवाही के विरूद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं की थी और वे मुकदमा लडना भी नहीं चाहती थी। अतः अब 10 वर्ष पश्चात् उनके वारिसानों को दावे में पुनः कार्यवाही करने का अधिकार देने में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग भारी अनियमितता एवं अवैधानिकता पूर्वक किया है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27—12—2000 को निरस्त फरमाय जावे।

4— विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रैट भरतपुर ने रू0 500/— की कोस्ट लगाकर उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/586/2001/डीग** **विद्यादेवी बनाम त्रिलोकचन्द अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सीपीसी को स्वीकार कर एकपक्षीय कार्यवाही जो सन् 1991 में की गयी थी उसे निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। निगराकार विद्यादेवी के पिता मृतक किशोरीलाल द्वारा परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मु0 भरतपुर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी क्रम 02 रतनदेवी के विरूद्ध सन् 1991 में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के पश्चात् अनिगराकार क्रम 02 लगायत 06 द्वारा सन् 1998 में परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश किया गया। परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी को रू0 500 कोस्ट पर दिनांक 27—12—2000 को स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मु0 भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—12—2000 से व्यथित होकर निगराकार ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। हमने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मु0 भरतपुर की पत्रावली का अवलोकन किया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की आदेश संचिका का अवलोकन करने से साबित है कि परीक्षण न्यायालय ने आदेश दिनांक 27—12—2000 की पालना में अनिगराकार क्रम 02 लगायत 06 को रू0 500/— की कोस्ट जमा करने पर जवाबदावे का अवसर प्रदान किया है परंतु उनके द्वारा जवाबदावा दिनांक 02—02—2001 को भी तैयार नहीं होने की स्थिति में उनकी मांग को दिनांक 02—02—2001 को अस्वीकार किया गया है। उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि निगराकार द्वारा आदेश दिनांक 27—12—2000 के विरूद्ध निगरानी पेश की गयी है, जबकि उक्त आदेश की पालना दिनांक 02—02—2001 को परीक्षण न्यायालय द्वारा की जा चुकी है। उपर्युक्त स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—12—2000 infructuous हो चुका है। निगराधीन आदेश infructuous होने के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6— परिणामतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मु0 भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—12—2000 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य